

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

शुद्धि पत्र

8083

सं०सं०-07/स्था० (प्रति०)-08-05/2016, परि०

पटना, दिनांक- 24-09-26

परिवहन विभाग के आदेश सं०-8042, दिनांक-22.09.2026 को निम्नवत् संशोधित किया जाता है-

- (i) उक्त आदेश के क्र० सं०-11 पर अंकित नव पदस्थापन जिला "खगड़िया" के स्थान पर नव पदस्थापन जिला "दरभंगा" पढ़ा जाय।
 - (ii) उक्त आदेश के क्र० सं०-17 पर अंकित नव पदस्थापन जिला "मधेपुरा" के स्थान पर नव पदस्थापन जिला "नवादा" पढ़ा जाय।
 - (iii) उक्त आदेश के क्र० सं०-33 पर अंकित नव पदस्थापन जिला "बाँका" के स्थान पर नव पदस्थापन जिला "पूर्णियाँ" पढ़ा जाय।
 - (iv) उक्त आदेश के क्र० सं०-90 पर अंकित नव पदस्थापन जिला "मधेपुरा" के स्थान पर नव पदस्थापन जिला "सहरसा" पढ़ा जाय।
 - (v) उक्त आदेश के क्र० सं०-136 पर अंकित नव पदस्थापन जिला "पूर्वी चम्पारण" के स्थान पर नव पदस्थापन जिला "मुंगेर" पढ़ा जाय।
 - (vi) उक्त आदेश के क्र० सं०-213 पर अंकित नव पदस्थापन जिला "नालन्दा" के स्थान पर नव पदस्थापन जिला "सहरसा" पढ़ा जाय।
2. शेष यथावत् रहेंगे।

24/09/26
(प्रमोद कुमार)

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 24-09-26

ज्ञापक-

8083

प्रतिलिपि- विभाग के सभी पदाधिकारी/सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/माननीय मंत्री, परिवहन के आप्त सचिव/सभी कोषागार पदाधिकारी/सचिव परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रवर्तन निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक/आई०टी० मैनेजर (विभागीय Website पर प्रकाशित करने हेतु), परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/09/26

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।